Visit of Mrs. Gandhi to U.K.

4443. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a)whether his attention has been drawn to a reported statement made by Shrimaii Indira Gandhi in London during her recent visit to that city to the effect that he (the Minister) had denounced or opposed the Indo-Soviet Treaty of Friendship, Peace and Cooperation;

(b) if so, whether her aforesaid statement is factually, substantially or even notionally true or false; and

(c) if false, what action has been, or is proposed to be, taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) to (c). Yes, Sir. This statement was not in accordance with facts. The Minister of External Affairs therefore issued a press denial in which he recalled that he had welcomed the Indo-Soviet Treaty soon after it was signed and challenged her to furnish evidence to support her statement. A copy of the press denial is given in the Statement placed on the table of the House.

Statement

My attention has been drawn to a statement reported to have been made by Shrimati Indira Gandhi in London on November 15, 1978, in which she has asserted that I was against the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation and that during the General Elections in March, 1977, I demanded its abrogation.

2. During her long political career and in the pursuit of personal power, Shrimati Gandhi has resorted to numerous strategems and distortions in order to malign her opponents. Her exercises in half-truths and utter falsehoods are too well-known for me to undertake to categorise them here.

This allegation levelled by her against me, nevertheless, takes the cake. She has forgotten conveniently, a little too conveniently, that even as a Member of the Opposition in the year 1971, I had welcomed the Indo-Soviet Treaty soon after it was signed. This has not been a secret to anyone, and yet consistent with her nuparalleled record in political distortions and falsehoods, she has thought it fit to make this utterly baseless accusation.

I challenge her to furnish evidence to support her statement, which is a vicious lie. And if she is unable to do so, the least that can be expected of her is to render a public apology.

(Atal Bihari Vajpayee)

New Delhi,
November 16, 1978.

सीमेंट कारखानों के वेतनों में असमानता

4444. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री रामदेनी राम:

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनवैली पोर्टलैण्ड, सीमेंट कम्पनी लिमिटेड जाप ला (बिहार) के सीमेंट कारखानों और चूना पत्थर की खानों में कार्य करने वाले मजदूरों को अन्य सीमेंट कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के वेतन की तुलना में आधा वेतन दिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे सैकड़ों श्रमिकों को जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं कई वर्षों से उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) क्या चूना पत्थर खान, बोलिया के श्रमिकों के वेतन के बारे में विवाद औद्योगिक न्यायालय, धनबाद में गत चार वर्ष से अनिर्णीत पड़ा है और सरकार द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति में विलम्ब के कारण इस बारे में निर्णय नहीं हो सका है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जापला सीमेंट फैक्टरी राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है । सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेंट कंपनी की बोलिया लाइमस्टोन क्वारी दूसरे सीमेंट मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं कर सकी, क्योंकि वह कई वर्षों से घाटे में जा रही है । यहां के श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी अन्य कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी की तुलना में कम है ।

(ख) बोलिया लाइमस्टोन क्वारी से 1957 के अन्त तक सेवा-निवृत्त हुए 159 श्रमिकों में से 71 श्रमिकों को ग्रेच्युटी की अदायगी की गई और शेष श्रमिकों में से 23 श्रमिकों ने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन किया है और उनके आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) तथा (घ). दूसरे सीमेंट मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने संबंधी बोलिया क्वारीज मजदूर संघ की मांग पर न्यायनिर्णय करने के लिए इस मामले को दिसम्बर, 1974 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं0 2 धनबाद, को भेजा गया था । पीठासीन अधिकारी का पद दिसम्बर, 1976 से रिक्त पड़ा है और रिक्त पद को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को महंगाई भत्ता

4445. **श्री रामदेनी राम :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 में सीमेंट उत्पादन पर प्रति टन 60 पैसे के हिसाब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जायेगा और यदि हां, तो क्या जापलेर सीमेंट फैक्टरी बिहार, तथा बोहिया खानों के श्रमिकों को यह महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त कर्मचारियों को इसके तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Telephones in Villages

4446. SHRI B. P. MANDAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of villages having telephone connections State-wise;

(b) whether they have any plan to bring more villages under telecommunications; and

(c) the details of such plan, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) 13,004 villages were having Telephone facility on 1-4-78. Statewise break up is given in Statement I.

(b) Yes, Sir,

(c) 15,000 more villages are proposed to be provided with Telephone facility during the Sixth Plan period (1978—83). Statewise break up is given in Statement II.